न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2023

(GCMS 2023/91)(21194246852786)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र जयमलराम निवासी वीपीओ मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर –335038 (मोबाईल नम्बर 89479–59782)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी– तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार(भू.अ.) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 24/29.04.2023 को प्रस्तुत करके एक/दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करके सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24/29.04.2023 के द्वारा **तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:43 IST
Reason: SelfAttested

24.04.2023

1. तहसील गंगानगर चक 11 एफ [illegible] II में रेलवे सड़क, खाला, रास्ता, नहर व कृषी भूमि के क्षेत्रफल की सम्वत् 2035 से पूर्व की प्रमाणित प्रति बाबत।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. चक 11 एफ बडा II के मुरब्बा नं. 29/16 के कि. नं. 21 व 22 की सम्वत् 2016 के बाद की मिसल बन्दोवस्त या जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति बाबत।

29.04.2023

1. तहसील, श्रीगंगानगर चक 11 एफ बड़ा II हल्का पटवारी की दैनिक डायरी सन् 2009 से 2014 के निरीक्षण बाबत।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भूअ/RTI/2024/663 दिनांक 12.02.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी जसवंत सिंह निवासी मिर्जेवाला द्वारा प्रा.पत्र दिनांक 29.04.2023 में (चक 11 एफ बड़ा II हल्का पटवारी की दैनिक डायरी सन् 2009 से 2014 के निरीक्षण बाबत) लिख कर दिया था। श्रीमान्जी उक्त पत्र में सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./RTI/2023/2231 दिनांक 5.05.2023 द्वारा जरिये डाक प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था।

आपसे नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं था। अतः अपील को दफ्तर दाखिल करने का श्रम करें। सादर

sd/-
तह[illegible] (भू.अ.),
श्री[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:43 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एव तहसील[illegible] (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी सूचित किया जा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब [illegible] दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:43 IST
Reason: SelfAttested